भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *478

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर देने के लिए

बौलिया चूनापत्थर की खान का पुनरुद्धार

†***478. श्री विष्णु दयाल राम:**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौलिया चूनापत्थर खान, जपला सीमेंट कारखाने के लिए एक रक्षित खान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त खान को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जपला सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

बौलिया चूनापत्थर की खान का पुनरुद्धार के संबंध में श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पूछे गए दिनांक 05.04.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 478 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): रोहतास जिले में मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड, जपला, पलामू के पक्ष में चूना पत्थर के निम्नलिखित खनन पट्टे प्रदान किए गए थे:-

क्र. सं.	**मौजा**	**क्षेत्रफल (एकड़ में)**	**खनन पट्टा प्रदान करने की तारीख**
1	रोहतास और अमला नैरवां	65.60	01.04.1955
2	रोहतास	139.94	01.04.1955
3	रोहतास, देवकंद, धनुअती आदि	752.50	01.08.1967

चूंकि उपर्युक्त सभी खनन पट्टे आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड, जपला, पलामू पट्टाधारक ने केंद्र सरकार से अपेक्षित मंजूरी के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए खनन पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया।

(ख) और (ग) : बिहार सरकार ने सूचित किया है कि खान का पुनरुद्धार करने की उसकी कोई योजना नहीं है।

(घ): मैसर्स सोन वैली सीमेंट लिमिटेड, जपला, पलामू की परिसमापन प्रक्रिया कंपनी याचिका संख्या-5/1995 द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 24.06.2022 के आदेश में परिसमापक को सुरक्षित जमा/बैंकों और पूर्व कर्मचारियों के बीच राशि वितरित करने की अनुमति दी।

****